

6512



आदेश

निम्नलिखित महिला उ०नि० ना०पु० को उनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति जनपद से अनुकम्पा के आधार पर 03 वर्ष के लिए निम्न प्रकार राजकीय रेलवे पुलिस में तात्कालिक श्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। महिला उ०नि० ना०पु० की सामान्यतः नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जा रही है तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में महिला उ०नि० ना०पु० को पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ द्वारा उनके गहन जनपद वापस किया जायेगा। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या: (महिला उ०नि०/महिला आरक्षी) दिनांक 29.11.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क्र० स०	पदनाम	बैंज न०	पी०एन०ओ०	कर्मि का नाम	गृह जनपद	कहां से	कहां को
1	म०उ०नि० ना०पु०	—	962460443	असमां माजिद	बरेली	फैजाबाद	जीआरपी लखनऊ अनुभाग


 (अजय कुमार सिंह)

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना
 नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:पांच-1003-2013/14832 दिनांक: नवम्बर 30, 2013

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त महिला उ०नि० ना०पु० को राजकीय रेलवे पुलिस में 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठता क्रम में उनके गहन जनपद को वापस करने की कृपा करें।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त महिला उ०नि० ना०पु० को राजकीय रेलवे पुलिस हेतु कार्यमुक्त कर प्रस्थान की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ सहित सर्वसंबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें यदि उपरोक्त महिला उ०नि० ना०पु० अन्यत्र जनपद के लिए स्थानान्तरणाधीन हो तो उसे राजकीय रेलवे पुलिस हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा राजकीय रेलवे पुलिस का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त संबंध में संबंधित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय।
- 3- पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अनुभाग लखनऊ

संख्या तथा दिनांक वही-

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।